राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

"बाल संरक्षण विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण" जिला-जोधपुर

(11-12 अप्रैल 2017)

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण विषय पर पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण 11-12 अप्रैल 2017 को पुलिस लाईन सभागार, जोधपुर में आयोजित किया गया। सत्र के आरम्भ में धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए. के द्वारा कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बच्चों के व्यवहारों के लिए दक्षता देना उन पर लागू कानूनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की जानकारी देना बताया जिससे कि समस्त हित धारक बाल अधिकारों एवं पुलिस प्रक्रियाओं में व्याप्त अन्तर को ठीक कर बच्चों के सर्वोतम हित में कार्य कर सके। यदुराज शर्मा सलाहकार यूनीसेफ बच्चों को यह अधिकार जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं नस्ल के भेदभाव के बिना प्राप्त होने की बात कही।

प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री नरपत सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों एवं अन्य हित धारकों बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अधिक संवेदनशीलता से कार्य करने की बात कही। उन्होने बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति पुलिस सहित सभी विभागों को बच्चों के प्रकरणों में संवेदनशील होकर मामलों का निस्तारण कर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया।

विश्वास शर्मा परामर्शद् यूनिसेफ आर.पी.ए. ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र, बच्चों के जीवन स्तर एवं उनके उपयुक्त शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर बात कही। नए जे.जे. एक्ट 2015 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

डॉ. सरोज कुमार चौहान, डीसीपीओ ने (किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2015 में बाल कल्याण समिति के कार्यो एवं पुलिस की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। डॉ. राजेन्द्र सिंह चावडा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति ने बच्चों के जीवन के अनुभवों को साझा

करते हुए उनके पुनर्वास कार्यो के बारे में बताया। सुश्री कृति भारती विशेषज्ञ, बाल अधिकार एवं सारथी ट्रस्ट निदेशक ने बाल विवाह की परम्पराओं पर सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्लेषण प्रस्तुत किये। श्रीमती रूपमती देवड़ा, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर ने (किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत विधि से विरूद्ध बच्चों पर चर्चा करते हुए कहा कि बच्चे अपराधों में वयस्कों के द्वारा उकसाने पर शामिल होते है। ऐसे बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया में लाया जाकर पुनर्वास एवं पुर्नउद्धार के अवसर दिये जाने चाहिये। उन्होने अधिनियम के प्रावधानों एवं पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने 16 से 18 आयुवर्ग द्वारा गहन अपराध करने पर किशोर न्याय बोर्ड की भूमिकाओं के बारे में बताया।

श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने महिला एवं बाल डेस्क की अवधारणा पर चर्चा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रत्येक थाने पर ऐसी व्यवस्था करना है जो महिलाओं और बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो और जहां महिलाऐ मित्रवत व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना किसी झिझक व दबाव के अपनी वेदना व व्यथा व्यक्त कर सके और उस पर उचित कानूनी कार्यवाही हेतु सहयोग प्राप्त कर सकें। उन्होने लैगिंक अपराधों से बालकों की सुरक्षा कानून 2012 इसके सन्दर्भ में महिला डेस्क की महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी बतायी।

श्री हरेन्द्र महावर, पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में बच्चों के विकास एवं जीवन सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिए हम सभी मिलकर इस सामाजिक दायित्व का निर्वाहन की बात कही। हमें बच्चों पर हुए अपराधों का गहन अनुसंधान कर न्यायिक दायरे में लाने की जरूरत है। उन्होने ऐसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श एवं पुनर्वास सेवाओं की जरूरत बतायी।

प्रशिक्षण का आयोजन कार्यक्रम की कोर्स डायरेक्टर श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर के निर्देशन में आयोजित किया गया जिसमें धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, यदुराज शर्मा एवं विश्वास शर्मा ने समन्वयन के लिए कार्य किया। प्रशिक्षण में जिले के पुलिस अधिकारियों सहित किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के 50 सदस्यों ने भाग लिया।